न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बईजलास श्री दीपाशूं सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र – 74 /2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर		1.छोंटीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी ताउसर .2.पवन कुमार दत्तक पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी ताउसर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 177, 63 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत बेदखली एवं खातेदारी अधिकार समाप्त करने

आदेश

दिनांक –. 11-4-19

प्रार्थी तहसीलदार नागौर ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 310/128 रकबा 1.00 बीघा मौजा सिंघाणी स्थित है। हल्का पटवारी मानासर की रिपोर्ट दिनांक 19.3.19 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त कृषि भूमि पर दुकानो का निर्माण कार्य बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि में प्रयोग कर दिया है एवं कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुवे, अप्रार्थीगणो को बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी उपस्थित नही आये। व उक्त मौके पर विशिष्ट स्थान पर चस्पानगी भी की गई परन्तु निर्दिष्ट समय पर अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुवे, अतः धारा 177 (5) के प्रावधान के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हल्का पटवारी मानासर के बयान करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल खतौनी, प्रदर्श 2 मौका रिपोर्ट तथा फोटोग्राफी प्रस्तुत की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत बयान, मौका रिपोर्ट व फोटोग्राफी से यह बात साबित होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 310/128 रकबा 1.00 बीघा मौजा सिंधाणी स्थित कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के दूकाने निर्माण कार्य कर अकृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया है एवं कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 काश्तकारों द्वारा शर्त भंग करने, अकृषि प्रयोगार्थ लेने व हानिप्रद कार्य करने के कारण उसको कृषि भूमि से बेदखल किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा सिंधाणी स्थित खसरा 310/128 रकबा 1.00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 छोटी देवी पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी ताउसर व श्री पवन कुमार दत्तक पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी ताउसर जाति के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी में अप्रार्थीगण अवैध दूकाने निर्माण करने के दोषी साबित हो जाने से अप्रार्थीगणो की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार नागौर को आदेश दिये जाते है की अप्रार्थीगणो की उक्त खातेदारी निरस्त कर बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को राजहक में लिये जाने के आदेश दिये जाते है। एवं रिकार्ड मे इंद्राज कर नवीन जमाबंदि मय पी–35कमांक प्रस्तुत करे। उक्त आदेश की पालना तत्काल की जावे। पालना कर पालना से तीन योम में अवगत करावें।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
(एस. डी. ओ.) नागौर
नागौर

उक्त निर्णय आज दिनांक 11-4-19 को सरेइजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
(एस. डी. ओ.) नागौर
नागौर